

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग (छ 0 ग 0)

॥ परिपत्र ॥

क्रमांक.845/तीन-18-01/2025

दुर्ग दिनांक.24/07/20

परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, विशेषतः धारा 5, 6 एवं 9, जो पारिवारिक विवादों के सुलह, परामर्श एवं सौहार्दपूर्ण निपटारे पर बल देती हैं, के अनुपालन में, परिवार न्यायालय, दुर्ग में नियुक्त परामर्शदाताओं के व्यावसायिक आचरण, नैतिक मानकों एवं दायित्वों को विनियमित करने हेतु परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 एवं छत्तीसगढ़ कुटुम्ब न्यायालय नियम 2007 की कंडिका 10(2) के आलोक में तथा अन्य प्रासंगिक नियमों के साथ सामंजस्य में, निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं, जो स्थापना अंतर्गत कार्यरत सभी परामर्शदाताओं पर लागू होंगे।

1. सामान्य सिद्धांतः

- विवाह एवं पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों के सुलह एवं त्वरित निपटारे को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के अनुरूप कार्य करेंगे।
- सदैव न्यायालय की गरिमा, शालीनता बनाए रखेंगे।
- निष्पक्षता, तटस्थता एवं न्याय के सिद्धांतों का पालन करेंगे।

2. निष्पक्षता एवं तटस्थता:-

- परामर्शदाता पूर्णतः तटस्थ एवं निष्पक्ष रहेंगे।
- किसी भी पक्ष को कोई विशेष वरीयता नहीं दी जाएगी।
- किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हित-संघर्ष होने पर, तत्काल न्यायालय को सूचित किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार स्वयं को कार्यवाही से अलग करेंगे।

3. गोपनीयता:-

- परामर्श के दौरान की गई सभी वार्तालाप, कथन एवं अभिव्यक्तियाँ पूर्णतः गोपनीय रखी जाएंगी।
- विधि द्वारा अनुमत अथवा न्यायालय के निर्देश के बिना, किसी भी सूचना को किसी तृतीय पक्ष को प्रकट नहीं किया जाएगा तथा किसी अन्य कार्यवाही में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा।
- परामर्श से संबंधित अभिलेखों का अत्यंत सावधानी एवं गोपनीयता के साथ संधारण किया जाएगा।

4. व्यावसायिक आचरण:-

- विशेषतः पारिवारिक विवादों की भावनात्मक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए परामर्श संबंधी कार्यवाही को धैर्य, संवेदनशीलता एवं सहानुभूति के साथ संचालित करेंगे।

- वादकारियों (litigants) के साथ सदैव शिष्ट एवं विनम्र व्यवहार करेंगे।
- किसी भी प्रकार के दबाव, भयादोहन या अनुचित प्रभाव से बचेंगे।
- अनुचित सलाह देने से परहेज करेंगे, तथापि विवादों के समाधान हेतु विषयों की समझ विकसित करने में सहायता कर सकते हैं।
- आधिकारिक कार्यवाही के बाहर किसी भी पक्ष के साथ निजी संवाद नहीं करेंगे।

5. न्यायालय के प्रति कर्तव्य:-

- न्यायालय को समय पर एवं नियमानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे, तथा परामर्श की परिधि से परे व्यक्तिगत मत व्यक्त नहीं करेंगे।
- परिवार न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।
- आवश्यकतानुसार कार्यवाही के अभिलेखों का समुचित संधारण करेंगे।

6. पक्षकारों के प्रति आचरण:-

- सभी पक्षकारों के साथ गरिमा एवं सम्मान के साथ व्यवहार करेंगे तथा लिंग, धर्म, जाति या सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे।
- दोनों पक्षों को समान रूप से सुने जाने का अवसर प्रदान करेंगे।
- बच्चों, महिलाओं तथा घरेलू हिंसा या संवेदनशील व्यक्तियों से संबंधित मामलों में विशेष संवेदनशीलता बरतेंगे।

7. समयबद्ध कार्यवाही

- परामर्श कार्यवाही शीघ्रता से संचालित की जाएगी।
- अनावश्यक स्थगन से बचा जाएगा।
- अधिनियम की धारा 9 के अनुरूप शीघ्र समाधान हेतु प्रयास किए जाएंगे।

8. दुराचार का निषेध:-

- किसी भी पक्ष से उपहार, लाभ या किसी प्रकार का प्रतिफल स्वीकार नहीं करेंगे।
- ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे, जिससे न्यायालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचे।
- अपने पद का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं करेंगे।
- गोपनीयता का उल्लंघन नहीं करेंगे तथा किसी भी पक्ष के प्रति पक्षपातपूर्ण आचरण नहीं करेंगे।

9. प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास:-

- परामर्शदाता पारिवारिक परामर्श, मध्यस्थता तकनीकों एवं प्रासंगिक विधियों में अपने ज्ञान एवं कौशल का सतत उन्नयन का प्रयास करेंगे।

- न्यायालय द्वारा निर्देशित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं एवं न्यायिक उन्मुखीकरण में सहभागिता अनिवार्य होगी।

10. मीडिया एवं सार्वजनिक वक्तव्यों से संबंधित प्रावधान:-

- परामर्शदाता किसी भी प्रकरण, कार्यवाही, पक्षकारों या परिवार न्यायालय के कार्यकलाप, अथवा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA), उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार संचालित राष्ट्रीय लोक अदालत, एडीआर प्रणाली या किसी विशेष अभियान के संबंध में किसी भी प्रकार का वक्तव्य, साक्षात्कार, 'बाइट' या सूचना मीडिया (प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल) को प्रदान नहीं करेंगे।
- वे पूर्ण संयम बनाए रखेंगे तथा न्यायालय की संस्था, उसके कार्य, न्यायिक अधिकारियों या किसी भी लंबित/निपटित प्रकरण के संबंध में सार्वजनिक रूप से, जिसमें सोशल मीडिया भी सम्मिलित है, कोई मत, टिप्पणी या आलोचना व्यक्त नहीं करेंगे।
- मीडिया से कोई भी संवाद, यदि आवश्यक हो, तो केवल सक्षम प्राधिकारी अर्थात् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय की पूर्व अनुमति अथवा न्यायालय के निर्देशानुसार ही किया जाएगा।

11. विविध:-

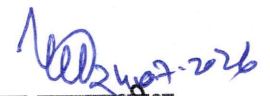
- उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित परामर्शदाता के विरुद्ध विधि अनुरूप कार्यवाही की जावेगी।
- किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में न्यायालय की व्याख्या मान्य एवं अंतिम होगी।

प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग (छ 0 ग 0)
दुर्ग दिनांक...24.12.26

पृष्ठांकन क्रमांक...944/तीन-18-01/2025

प्रतिलिपि:-

1. प्रथम/ द्वितीय/ तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त परामर्शदाता, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. प्रस्तुतकार, न्यायालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग की ओर सूचनार्थ।


प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग (छ 0 ग 0)